न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बृज मोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : पाली/निर्णय/65/2017

1. भरतकुमार पुत्र बाबुलालजी
2. महेन्द्र पुत्र बाबुलालजी
3. मुकेश पुत्र बाबुलालजी
4. मनीष पुत्र बाबुलालजी
5. मोहन पुत्र बाबुलालजी

   जातिगण घांची निवासीगण माण्डल तहसील रानी, जिला पाली (राज.)

..... अपीलार्थी

ब ना म

1. सुमटी पत्नी मगारामजी
2. नारायणलाल पुत्र मगारामजी
3. प्रिंस पुत्र नारायणलालजी उम्र 13 वर्श नाबालिग
4. सोहनलाल पुत्र नारायणलालजी उम्र 10 वर्ष नाबालिग
5. नीतू पुत्री नारायणलालजी
6. बाबुलाल पुत्र मगारामजी

   जातिगण घांची निवासीगण माण्डल तहसील रानी

   रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 4 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता सीमा पत्नी नारायणलालजी
7. तहसीलदार महोदय (भूमिधारी) रानी

..... रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री जुंझाराम परमार, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 से 5
3. सरकारी पैरोकार रेस्पोडेण्ट संख्या 7

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय दिनांक : 06-04-2021

1. उपरोक्त अपील धारा 225 राज. टिनेंसी एक्ट के तहत् सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रानी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण

संख्या 1/2017 में दिनांक 16.10.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध पेश की है, जिसे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

2. दोनों पक्षो की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट्स अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा खातेदारी घोषणा, विभाजन, स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था, साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन भी पेश किया था कि ग्राम माण्डल के खसरा संख्या 391, 391/2, 391/3, 391/4, 391/6 कुल रकबा 35 बीघा 9 बिस्वा मगारामजी के पुश्तैनी खातेदारी की स्थित थी, जो मगारामजी को उनके पिता टुआजी से प्राप्त हुई थी और मगारामजी का देहांत दिनांक 27.02.2012 को हो चुका है। मगारामजी की मृत्यु के समय सभी अपीलाण्ट्स का जन्म हो चुका था। उपरोक्त भूमि मगारामजी को उनके पिताजी से प्राप्त होने के कारण पुश्तैनी, पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की संपति है, इसलिए धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होकर धारा 6 के प्रावधान लागू होते है, उसी अनुसार अपीलाण्ट्स जन्म से उपरोक्त भूमि के कोपार्सनर के तौर पर सहखातेदार हो चुके है, फिर भी रेस्पोडेण्ट संख्या एक सुमटी ने अपना संपूर्ण हिस्सा अवैध रूप से रेस्पोडेण्ट संख्या दो के पक्ष में हकतर्क कर दिया, जो हकतर्कनामा एवं उसके आधार पर पारित म्यूटेशन संख्या 1775, 2017, 2281 सभी अपीलाण्ट्स के हितो पर बाध्यकारी नहीं है तथा अपीलाण्ट्स के हितो के विरूद्ध बेअसर व शून्य है।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रेस्पोडेण्ट्स राजस्व रिकॉर्ड में रेकर्डेड खातेदार है इसलिए रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। उपरोक्त आधारों पर अपीलाण्ट का प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन नहीं मानते हुए आवेदन को खारिज करने में विधिक रूप से भारी भूल की है, क्योंकि प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी इत्यादि से यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलाण्ट्स के दादा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मगारामजी को उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि उनके पिता टुआजी से विरासत में प्राप्त हुई है, इस कारण से मगारामजी उपरोक्त संपति के अकेले खातेदार नहीं होकर बतौर कर्ताखानदान के कोपार्सनर है और उनकी मृत्यु के समय पुत्र पौत्र सभी जो जीवित है वे स्वतः ही उपरोक्त भूमि के कोपार्सनर के रूप में सहखातेदार हो जाते है, जिसकी घोषणा करवाने के विधिक रूप से अधिकारी है। चूंकि वाद घोषणा का अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है। मगारामजी की मृत्यु के बाद विरासत का म्यूटेशन धारा 8 अनुसार खोला गया जो अवैध है, क्योंकि भूमि पैतृक है इसलिए धारा 6 अनुसार अपीलाण्ट्स का हिस्सा भी बतौर सहखातेदार के दर्ज किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जाना आवश्यक था, अपीलाण्ट का प्रथमदृष्टया मामला उपरोक्त तथ्यों अनुसार साबित है। अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने की सुरत में अपीलाण्ट को जो क्षति होगी उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि दौराने अपील भूमि को रेस्पोडेण्ट्स खुर्द–बुर्द, हस्तान्तरण कर देते है तो अपीलार्थी का हक, हकुक, अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो जायेंगे। पहले भी रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने बिना अधिकारिता के अपना हक, हकुक, अधिकार रेस्पोडेण्ट संख्या दो के पक्ष में हकतर्क कर दिया, जबकि हकतर्क किये जाने बाबत् राज. टिनेंसी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। राज. टिनेंसी एक्ट एक विशेष अधिनियम है, जिसमे वर्णित प्रावधानों के तहत् ही भूमि का हस्तान्तरण, व्ययन, रहन किया जा सकता है, राज. टिनेंसी एक्ट में धारा 40, 41, 42 अनुसार केवल कोई खातेदार अपना हिस्सा बेचाण, बक्शीश एवं वसीयत कर सकता है, हकतर्क करने बाबत् कोई प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2014(1) आरआरटी पेज 509 एवं 2008(2) आरआरटी पेज 850 पेश कर निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ ने यह अभिनिर्धारित कर दिया है कि हकतर्क द्वारा कृषि भूमि का अन्तरण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अपीलाण्ट अधिवक्ता ने 2018(2) आरआरटी पेज 948, 2018–19 आरआरटी पेज 618, 2019 आरआरडी पेज 642 न्यायिक दृष्टान्त पेश कर निवेदन किया कि खातेदार के विरूद्ध अस्थायी

निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है, जिसमें किसी प्रकार की रोक नहीं है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स मौके पर काबिज है, ऐसी स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जाना आवश्यक है। सुविधा का संतुलन भी पूर्णरूप से अपीाण्ट्स के पक्ष में है, क्योंकि बतौर कोपार्सनर अपीलाण्ट्स वादग्रस्त भूमि के खातेदार हो चुके है, केवल घोषणा होनी शेष है, जिस सम्बन्ध में वाद अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है। वाद के दौरान भूमि की यथास्थिति बनाये रखना लाजमी है, अन्यथा वाद का मकसद समाप्त हो जाता है, इस सम्बन्ध में 2006(1) डीएनजे पेज 421 का न्यायिक दृष्टान्त पेश कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स ने गलत आधारों पर वाद एवं अपील पेश की है। अपीलाण्ट्स के विधिक रूप से कोई हक, हकुक, अधिकार नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधिक रूप से पारित किया गया है, रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अपीलाण्ट्स का वादग्रस्त भूमि पर किसी भी रूप से कब्जा–काश्त नहीं रहा है, न ही हक, अधिकार है। अपीलाण्ट्स ने केवल रेस्पोडेण्ट्स को तंग, हैरान, परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे पेश किये है। इससे पूर्व भी हकतर्कनामा के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद पेश किया गया था, उक्त वाद में भी अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी, जिसे सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त की गई है। इसके अलावा अपीलाण्ट्स और उसके पिता ने मिलकर माता सुमटी के साथ मारपीट की, झगडे किये, जेवरात चोरी कर लिये, जिसका भी फौजदारी मुकदमा चला और उसमें भी बाबुलाल को सजा हुई। इस तरह से अपीलाण्ट्स झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है। उपरोक्त भूमि में अपीलाण्ट्स का कोई हक, हकुक, अधिकार नहीं बनता है। मगारामजी की मृत्यु के समय धारा 8 अनुसार जीवित वारिसान के नाम म्यूटेशन भरा गया है, जो विधिवत है। अपीलाण्ट्स का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है। इसके अलावा रेस्पोडेण्ट्स अधिवक्ता ने राजस्व विभाग का परिपत्र दिनांक 8.9.1993 पेश कर यह बताया गया कि राज. टिनेंसी एक्ट के तहत् कृषि भूमि का हकतर्कनामा किया जा सकता है, इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई विधिक रोक नहीं है। साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2008(1) आरआरटी पेज 484, 2006(1) आरआरटी पेज 623, 1991 आरआरडी पेज 325, 2007(1) आरआरटी पेज 103 न्यायिक दृष्टान्त पेश कर निवेदन किया कि खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है और पैतृक संपति का हकतर्कनामा किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में विधि में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, साथ ही फहरिस्त के साथ सरकार बनाम बाबुलाल के निर्णय की फोटो प्रति एवं बाबुलाल बनाम नारायणलाल आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की। साथ ही अपील मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

5. रेस्पोडेण्ट के बहस का अपीलाण्ट्स की ओर से जवाब देते हुए निवेदन किया कि फहरिस्त के साथ प्रस्तुत दस्तावेज बिना आवेदन रेकर्ड पर नहीं लिये जा सकते है, इस सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट की ओर से उक्त दस्तावेज रेकर्ड पर लिये जाने के सम्बन्ध में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन पेश नहीं किया गया है, इस कारण उक्त दस्तावेज नहीं पढे जा सकते है। इसके अलावा निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत परिपत्र गजट में प्रकाशित नहीं है, न ही राज. टिनेंसी एक्ट में संशोधन किया गया है, इसलिए परिपत्र विधि का स्थान नहीं ले सकता है, इस कारण परिपत्र नहीं पढा जा सकता है।

6. दोनों पक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में टुआ पुत्र मोटाजी के खातेदारी की थी, उनकी मृत्यु के बाद उपरोक्त भूमि उनके दो पुत्र मगाराम एवं खरताराम के नाम दर्ज हुई। अपीलाण्ट मगारामजी के पौत्र है और मगारामजी की मृत्यु दिनांक 27.02.2012 को होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वर्णित है। मगारामजी की मृत्यु के समय सभी अपीलाण्ट्स का जन्म होना भी साबित है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा 212 राज. टिनेंसी एक्ट के आवेदन के अनवान में अपीलाण्ट्स की आयु दर्ज है, जिससे उनका जन्म मगारामजी की मृत्यु से पूर्व होना स्वीकृत स्थिति है। उपरोक्त भूमि मगारामजी को उनके पिता टुआजी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

से प्राप्त होना भी स्वीकृत स्थिति है, इस कारण से उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पैतृक संपति होना साबित है और मगारामजी को पुश्तैनी पूर्वजो से प्राप्त होना भी साबित है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त संपति कोपार्सनर संपति है। मगारामजी स्वअर्जित अथवा निजी संपति नहीं है, इसलिए अपीलाण्ट जो कि मगारामजी के पौत्र है, स्वतः ही जन्म लेते ही कोपार्सनर हो जाते है और वादग्रस्त भूमि के बतौर कोपार्सनर स्वतः ही खातेदार हो जाते है इस सम्बन्ध में कानूनी स्थिति बहुत स्पष्ट है। जहां पर भूमि पैतृक संपति है, वहां पर धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है, एवं जहां पर भूमि स्वअर्जित संपति है, वहां पर धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। उपरोक्त प्रकरण में संपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड से उपरोक्त भूमि पैतृक संपति होना, मगारामजी को अपने पिता से प्राप्त होना, मगारामजी के जीवनकाल में ही अपीलाण्ट्स का जन्म होना साबित है, ऐसी स्थिति में मगारामजी संयुक्त हिन्दू परिवार के कर्ता खानदान के तौर पर रहे है और उनकी मृत्यु के बाद सभी कोपार्सनर उक्त संपति के स्वतः ही सहखातेदार हो चुके है, जिसकी घोषणा और विभाजन का वाद अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है। जब इस सम्बन्ध में वाद लम्बित है, वाद के निर्णय में समय लगने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड और मौके की स्थिति को यथावत रखा जाना भी न्यायालय का कर्त्तव्य हो जाता है, अन्यथा पक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी। अपीलाण्ट अधिवक्ता का यह तर्क कि कृषि भूमि का हकतर्कनामा नहीं किया जा सकता है और राज. टिनेंसी एक्ट में इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है, इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कृषि भूमि के सम्बन्ध में हकतर्क किये जाने बाबत् राज. टिनेंसी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी उपरोक्त सम्बन्ध में अंतिम फाईडिंग वाद में दी जाएगी। जहां तक रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किये जाने अथवा पारित नहीं किये जाने के सम्बन्ध में दोनों पक्षो ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किये है, इस बाबत् अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण में चस्पा होते है, चूंकि वादग्रस्त भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

कोपार्सनरी पैतृक संपति है और अधिकार घोषणा विभाजन का वाद लम्बित है, ऐसी स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

लिहाजा अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2017 अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि ग्राम माण्डल के खसरा संख्या 391, 391/2, 391/3, 391/4, 391/6 कुल रकबा 35 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि में अपीलाण्ट्स के कब्जे–काश्त की कृषि भूमि में रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 से 5 दखल, हस्तक्षेप नहीं करें, साथ ही उपरोक्त कृषि भूमि का रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 से 5 अन्य किसी सख्स, संस्था, व्यक्ति को बेचाण, हस्तान्तरण, रहन, व्ययन, बक्शीश, हकतर्क नहीं करें एवं मौके एवं रेकर्ड की स्थिति यथावत बनायी रखी जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 06/04/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली (राज.)
06/04/2021